

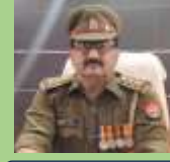


Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में लूट की घटना कारित करने के आरोपी शहजाद उर्फ रिहान को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25000 रुपये अर्थदण्ड की सजा -

अवगत कराना है कि अभियुक्त शहजाद उर्फ रिहान पुत्र इकराम निवासी शिकारपुर थाना भौराकलां जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा वर्ष-2014 में लूट करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना दोघट पर मु0अ0सं0 237/2014 धारा 395/397/412 भादवि पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 21.08.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट -1 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त शहजाद उर्फ रिहान को दोषी पाते हुये 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



नि0 श्री अतर सिंह
प्रभारी मॉनिटरिंग सेल



नि0 श्री सुनिल कुमार शर्मा
विवेचक



श्री गगन गौड एडीजीसी



है0का0 धर्मेन्द्र कुमार
कोर्ट पैराकार



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में हत्या का प्रयास व धोखाधड़ी की घटना कारित करने के आरोपी शेरू उर्फ शाहरुख को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 10 वर्ष के कठोर कारावास व 500 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त शेरू उर्फ शाहरुख पुत्र मुशिरजा निवासी ग्राम भैयापुर उर्फ पण्डितपुरा थाना तरबगंज जनपद गौण्डा द्वारा वर्ष-2015 में हत्या करने का प्रयास व धोखाधड़ी करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 58/2015 धारा 147/148/149/307/380/511/427/420/120बी भादवि पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 21.08.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट -5 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त शेरू उर्फ शाहरुख को दोषी पाते हुये 10 वर्ष के कठोर कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



नि0 श्री अतर सिंह
प्रभारी मॉनिटरिंग सेल



उ0नि0 श्री सतीश कुमार पुरी
विवेचक



श्री अशोक सेनी एडीजीसी



है0का0 कुलदीप कुमार
कोर्ट पैराकार



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में मारपीट व छेड़छाड़ करने की घटना कारित करने के 18 आरोपियों को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई कारावास व अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्तों विकास, नितिन, विपिन, विक्की उर्फ विकास एवं शुभम उर्फ शिवम, नवीन, मोनू उर्फ सोहनवीर, रवि, नीरज, राहुल, कल्लू, प्रवीण पुत्र बाबूराम, सूरज, राहुल, शिवा अजय, अर्जुन व ललित निवासीगण अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत के द्वारा मारपीट व छेड़छाड़ करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 418/202 धारा 147/148/323/324/338/354बी/452/504/506/307/352/325/326 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 21.08.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों विकास नितिन विपिन विक्की उर्फ विकास एवं शुभम उर्फ शिवम को धारा 326/325/323/324/354बी/452 भादवि में 07 वर्ष का कारावास व 22-22 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा तथा नवीन, मोनू उर्फ से दण्डित किया गया है।



नि0 श्री अतर सिंह प्रभारी मॉनिटरिंग सैल



श्री गगन गौड एडीजीसी



उ0नि0 श्री सतेन्द्र सिंह सिद्ध विवेक



का0 योगेश कुमार कोर्टपैराकार

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police



प्रेसनोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक- 21.08.26

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 580/2026 धारा 303(2) बी.एन.एस. से सम्बन्धित 01 वाँछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे/निशांदाही से चोरी की हुई दो भैंसे व एक कटरी को बरामद किया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.08.26 को थाना बडौत पर वादी श्री रविन्द्र पुत्र साधु सिंह निवासी गांव -सावड थाना वुन्द कला जिला -चरखी दादरी ने थाना बडौत पर लिखित तहरीर दी कि 1. जमशाद पुत्र भूरा निवासी थाने वाली गली बुढाना थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर 2. शराफत पुत्र समशाद निवासी बुढाना सफीपुर पट्टी थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर व दो अज्ञात के द्वारा आवेदक के वाहन रजि0 नं0 HR 841153 में से दो भैंसे व एक कटरी चोरी कर लेना। उक्त सम्बन्ध



में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 580/2026 धारा 303(2) बी.एन.एस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोर/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 580/2026 धारा 303(2) बी.एन.एस. से सम्बन्धित 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की हुई दो भैसे व एक कटरी को बरामद किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बी.एन.एस की बढोत्तरी की गई।

अभियुक्त का नाम व पता-

शराफत पुत्र समशाद निवासी बुढाना सफीपुर पट्टी थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर उम्र करीब 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- अभियोग की घटना मे चोरी दो भैसे व एक कटरी (लवारा) (उक्त बरामद दो भैस व एक कटरी को उत्तम वीर पुत्र वेद प्रकाश निवासी पट्टी खोब्बा महावतपुर बावली थाना बडौत जनपद बागपत के सुपुर्द किया गया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 मौ0 आसिफ थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2- उ0नि0 श्री सचिन कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3- है0का0 22 अमित नागर थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4- का0 666 रघुवीर थाना बडौत जनपद बागपत।
- 5- का0 399 राहुल चौहान थाना बडौत जनपद बागपत।